उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–3

उपस्थित–माननीय डॉ0 अनिल कुमार, सदस्य (प्रशासकीय)।

निर्देश याचिका संख्या–986/2025

नीरज सिंह भाटी, आयु लगभग 37 वर्ष, पुत्र श्री किरनपाल सिंह, निवासी मकान नं0–डी–357, सेक्टर पी0एस0–ग्रेटर नोएडा, जनपद–गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन, आगरा, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
4. अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध, जनपद–मथुरा।

प्रतिपक्षीगण।

निर्णय
(द्वारा माननीय डॉ0 अनिल कुमार, सदस्य (प्रशासकीय)।

यह निर्देश याचिका याची द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गयी है–

> **"A. That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to quash and set aside the order dated 02.01.2025 (Annexure No. 1) passed by the Disciplinary Authority (Respondent No. 3 herein) by which the punishment of censure entry has been imposed upon the petitioner.**
>
> **B. That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to quash and set aside the order dated 15.04.2025 (Annexure No. 2) passed by the Appellate Authority (Respondent No. 2 herein) by which the order dated 02.01.2025 and the punishment against the petitioner imposed therein has been affirmed.**
>
> **C. That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to quash and set aside the show cause**

notice dated 02.12.2024 (Annexure No. 5) issued to the petitioner.

D. That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to award costs of these proceedings in favour of the petitioner and against the respondents,

E. That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to pass any other order or direction which is deemed fit and proper in the facts and circumstances of the present matter."

2. संक्षेप में; याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची वर्तमान में स्टेशन हाउस ऑफीसर (एस0एस0ओ0) के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कार्यरत है। याची पर यह आरोप है कि जब वह वर्ष–2024 में थाना शेरगढ़, मथुरा में थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था, तब वादी श्री जगडू सिंह द्वारा थाना विजयनगर, जनपद गाजियाबाद पर दिनांक–05.09.2024 को मु0अ0सं0–650/2024 धारा–140(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। बाद घटना मुठभेड़ में अभियुक्त सुरेन्द्र को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुरेन्द्र ने अपने 05 अन्य साथियों के नाम बताये। उक्त मुठभेड़ के संबंध में थाना फरह मथुरा पर मु0अ0सं0–331/2024 धारा–109 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। दिनांक–06.09.2024 को अपहृत प्रवीण चौधरी को उसकी फॉरच्यूनर कार सहित बरामद किया गया एवं मौके पर अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया जबकि अभियुक्त राहुल कुमार गुप्ता आदि 04 अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये। घटना में फरार अभियुक्त राहुल गुप्ता पर 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया तथा विजय नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी रही थी। इनामी अपराधी राहुल गुप्ता पुत्र अनिल कुमार निवासी के–157 मोहन गार्डन उत्तमनगर थाना मोहन गार्डन वेस्ट दिल्ली दिनांक–21.09.2024 को थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसके संबंध में थाना शेरगढ़ मथुरा पर मु0अ0सं0–272/2024 धारा–4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसमें राहुल गुप्ता उपरोक्त का पता फ्लैट नं0–512 ए ऑमेक्स सिटी थाना वृन्दावन, मथुरा दर्शाया गया है, जबकि अभियुक्त राहुल गुप्ता अपने परिवार सहित दिल्ली में निवास करता है। यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी उ0नि0 ना0पु0 मौ0 बिलाल प्रशिक्षणाधीन के द्वारा की गयी थी, तो याची की जिम्मेदारी थी कि प्रशिक्षणाधीन उ0नि0 को उचित दिशा–निर्देश देते तथा उसे इस बारे में बताते कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा किन–किन औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। प्रशिक्षणाधीन उ0नि0 ना0पु0 मो0 बिलाल द्वारा अपने कथन में यह स्पष्ट किया गया कि थाने पर मौजूद अभियुक्त राहुल गुप्ता से

याची द्वारा पूछताछ की गयी थी। इस तथ्य को याची द्वारा कथन में छिपाया गया। इस प्रकार याची का यह कृत्य अपने कर्तव्य पालन के प्रति बरती गयी घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक होने के कारण याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक–02.12.2024 को निर्गत की गयी। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति याची द्वारा दिनांक–08.12.2024 को प्राप्त की गयी, जिसके संबंध में याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–16.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। याची का कथन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर बिना विचार किये दण्डादेश दिनांक–02.01.2025 पारित कर दिया गया, जो विधिक एवं नियमानुसार नहीं है। याची ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी अपील में उल्लिखित तथ्यों पर बिना विचार किये उसकी अपील अपीलीय आदेश दिनांक–15.04.2025 द्वारा निरस्त कर दी गयी। उसके उपरान्त याची द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका भी प्रस्तुत की गयी परन्तु उस पर कोई आदेश पारित न किये जाने पर याची द्वारा यह याचिका योजित की गयी।

3. प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रतिशपथपत्र/लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि जब याची वर्ष–2024 में थाना शेरगढ़, मथुरा में थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था, तब वादी श्री जगडू सिंह द्वारा थाना विजयनगर, जनपद गाजियाबाद पर दिनांक–05.09.2024 को मु0अ0सं0–650/2024 धारा–140(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। बाद घटना मुठभेड़ में अभियुक्त सुरेन्द्र को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुरेन्द्र ने अपने 05 अन्य साथियों के नाम बताये। उक्त मुठभेड़ के संबंध में थाना फरह मथुरा पर मु0अ0सं0–331/2024 धारा–109 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। दिनांक–06.09.2024 को अपहृत प्रवीण चौधरी को उसकी फॉरच्यूनर कार सहित बरामद किया गया एवं मौके पर अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त राहुल कुमार गुप्ता आदि 04 अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये। घटना में फरार अभियुक्त राहुल गुप्ता पर 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया तथा विजय नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी रही थी। इनामी अपराधी राहुल गुप्ता पुत्र अनिल कुमार निवासी के–157 मोहन गार्डन उत्तमनगर थाना मोहन गार्डन वेस्ट दिल्ली दिनांक–21.09.2024 को थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसके संबंध में थाना शेरगढ़ मथुरा पर मु0अ0सं0–272/2024 धारा–4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसमें राहुल गुप्ता उपरोक्त का पता फ्लैट नं0–512 ए ऑमेक्स सिटी थाना वृन्दावन, मथुरा दर्शाया गया है, जबकि अभियुक्त राहुल गुप्ता

अपने परिवार सहित दिल्ली में निवास करता है। उ0नि0 ना0पु0 मो0 बिलाल जो कि प्रशिक्षणाधीन उपनिरीक्षक है, यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी उसके द्वारा की गयी थी, तो याची की जिम्मेदारी थी कि प्रशिक्षणाधीन उ0नि0 को उचित दिशा–निर्देश देते तथा उन्हें इस बारे में बताते कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा किन–किन औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। प्रशिक्षणाधीन उ0नि0 ना0पु0 मौ0 बिलाल द्वारा अपने कथन में यह स्पष्ट किया गया कि थाने पर मौजूद अभियुक्त राहुल गुप्ता से याची द्वारा पूछताछ की गयी थी। इस तथ्य को याची द्वारा कथन में छिपाया गया। इस प्रकार याची का यह कृत्य अपने कर्तव्य पालन के प्रति बरती गयी घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक होने के कारण याची को **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियावमली, 1991** के नियम–14 (2) के सपठित नियम–4(1)ख(4) के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख के दण्ड से दंडित किये जाने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक–02.12.2024 को निर्गत की गयी। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति याची द्वारा दिनांक–08.12.2024 को प्राप्त की गयी, जिसके संबंध में याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–16.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दण्डादेश दिनांक–02.01.2025 पारित किया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। याची ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिस पर सम्यक विचार करते हुए उसकी अपील अपीलीय आदेश दिनांक–15.04.2025 द्वारा निरस्त कर दी गयी, जो विधिक एवं नियमानुसार है। अन्त में यह भी कहा गया कि याची द्वारा प्रस्तुत यह याचिका निराधार एवं बलहीन तथ्यों पर योजित की गयी है, जो सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित कथन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुष्टि एवं पुनरावृत्ति की गयी।

5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी विधि व्यवस्थाओं का गहनता से परिशीलन किया।

6. बहस के दौरान याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये प्रतिपक्षीगण द्वारा दण्डादेश पारित कर दिया गया, जो सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत नहीं है। जबकि प्रतिपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया कि याची को दोषी पाते हुए

कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त सकारण एवं मुखरित दण्डादेश पारित किया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने से विदित है कि इस प्रकरण में याची पर लगाये गये आरोप के संबंध में याची को परिनिन्दा लेख के दण्ड से दंडित किये जाने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक–02.12.2024 को निर्गत की गयी। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति याची द्वारा दिनांक–08.12.2024 को प्राप्त की गयी, जिसके संबंध में याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–16.12.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें याची द्वारा अपनी निर्दोषिता के संबंध में विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए अपने स्पष्टीकरण (संलग्नक–6) के प्रस्तर–2 में यह भी कहा गया कि–

> **''2. अभियुक्त द्वारा दिल्ली का कोई पता गिरफ्तारी के समय अथवा थाने पर नहीं बताया गया था। मुकदमा पंजीकरण के समय मुताबिक सीसीटीएनएस अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं हुआ था, जिससे यह जानकारी हो पाती कि अभियुक्त राहुल पुत्र अनिल किसी अभियोग में वांछित अथवा ईनामिया है। इस अभियोग की विवेचना मुझ थानाध्यक्ष के आदेशानुसर प्रशिक्षु उ0नि0 श्री प्रशान्त शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक प्रशिक्षु उ0नि0 श्री प्रशान्त शर्मा द्वारा अभियोग की विवेचना दिनांक–30.09.2024 को द्वारा आरोपपत्र संख्या–263/2024 समाप्त की गयी।**
>
> **गिरफ्तार करते समय जो भी प्रपत्र तैयार किये जाते हैं, उसमें बहुस सारी जानकारियां अभियुक्त के बताने के अनुसार ही अंकित की जाती हैं, जैसे कि उसका नाम, पता आदि। इसमें भी उसने अपना नाम राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी–फ्लैट नं0–512ए, औमैक्स सिटी, थाना वृन्दावन मथुरा बताया है। जब सीसीटीएनएस में इस पते पर उसका आपराधिक इतिहास देखा गया तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं निकला। यदि वह दिल्ली का अपना सही पता बताता, तब उस पते पर सीसीटीएनएस से उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी हो सकती थी, जिसकी वजह से उसका अन्य किसी अपराध में अभियुक्त होना या इनामी अपराधी होना दर्शित नहीं हुआ था।''**

पत्रावली पर उपलब्ध दण्डादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें दण्डाधिकारी ने याची के स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त किसी तथ्य पर न तो सम्यक रूप से विचार किया है और न ही याची के द्वारा उल्लिखित तथ्यों को न मानने का कोई कारण दर्शित किया है और मात्र कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए याची के स्पष्टीकरण को बलहीन एवं निराधार पाकर दण्डादेश दिनांक–02.01.2025 (संलग्नक–1) पारित कर दिया,

जिससे स्पष्ट है कि दण्डाधिकारी ने सकारण एवं मुखरित रूप से आदेश पारित नहीं किया जबकि दण्डादेश में कारणों को अभिलिखित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण अंग है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **2006, सुप्रीम कोर्ट केसेज (एल0 एण्ड एस0), 679 राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य** में इस संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है–

> **"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishment, nevertheless Rules 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to show cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order therefore, cannot be sustained and must be set aside."**

''कारण'' और ''निष्कर्ष'' के विभेद को स्पष्ट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन आफ इंडिया बनाम मोहन लाल कपूर (1993) 2 एस0सी0सी0, 836** में इस संबंध में निम्न व्यवस्था दी गई है–

> **"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusion. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."**

माननीय उच्चतम् न्यायालय ने **(2010) 9 एस0सी0सी0 पेज–510 11 क्रांति एसोसिएशन (पी) लि0 बनाम मसूद अहमद खाँ व अन्य** में यह अवधारित किया है कि विभागीय कार्यवाही अर्द्ध न्यायायिक कार्य होता है तथा प्राकृतिक न्याय की यह मांग है कि सकारण आदेश होना चाहिए और यदि वह सकारण आदेश नहीं है तो इस आधार पर भी दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010(2) सुप्रीम कोर्ट केसेज, 497** में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है तो उसे मुखरित होना चाहिए और उसमें संगत कारणों का विधिवत् उल्लेख होना चाहिए–

> **"That the requirement of recording reasons by every quasi-judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communications thereof to the affected persons is one of the recognized facet of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."**

8. आक्षिप्त दण्डादेश दिनांक–02.01.2025 (संलग्नक–1) सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः निरस्त होने योग्य है। याची ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलीय प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया किन्तु अपीलीय अधिकारी ने भी याची द्वारा लिये गये आधारों को सकारण एवं मुखरित रूप से निस्तारित न करते हुए अपील दिनांक–15.04.2025 (संलग्नक–2) के आदेश से निरस्त कर दी, अतः यह आदेश भी निरस्त होने योग्य है।

9. उक्त वर्णित विधिक व्यवस्थाओं तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक–02.01.2025 (संलग्नक–1) तथा अपीलीय आदेश दिनांक–15.04.2025 (संलग्नक–2) सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत नहीं हैं, अतः निरस्त किये जाने योग्य हैं। निष्कर्षतः याची की निर्देश याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिपक्षीगण द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक–02.01.2025 (संलग्नक–1) तथा अपीलीय आदेश दिनांक–15.04.2025 (संलग्नक–2) निरस्त किये जाते हैं। याची समस्त परिणामी सेवा लाभ प्राप्त करने

का अधिकारी होगा। प्रतिपक्षीगण द्वारा इस निर्णय/आदेश का अनुपालन इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(डॉ0 अनिल कुमार)
सदस्य (प्रशासकीय)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(डॉ0 अनिल कुमार)
सदस्य (प्रशासकीय)

रा0कु0श्री0/नि0स0
दिनांक–20.08.2026